

**आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।**

**माह- जनवरी, 2017 तक।**

क्र० सं०	काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1	2	3	
1.	भ०नि० ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं०-15/16, दिनांक-30.11.16 धारा-7/13(2) भ०नि० अधि०-1988s	<b>पुलिस विभाग।</b> ट्रैप केस। 10,000/-	श्री रामनाथ सिंह (आर०एन० सिंह) उम्र-55 वर्ष, पिता-स्व० संतोष सिंह, सा०-बामनगोड़ा, थाना-परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, वर्तमान पुलिस अवर निरीक्षक, थाना-तिसरी, जिला-गिरिडीह। <b>आरोप पत्र सं०-01/17, दिनांक-18.01.17 धनबाद।</b>
2.	निगरानी थाना कांड सं०-10/15, दिनांक -13.03.15 धारा- 406 /409 /419/420 /120(बी) भा०द०वि० एवं 13(2) सह पठित धारा-13(1) (सी) (डी) भ०नि० अधि०-1988	<b>मनरेगा</b> जाँच सं० पी०ई०-17/12 के जाँचोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची के आदेश सं०-1888 दिनांक-12.02.15 तदनुसार मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखंड राँची के पत्र सं०-260 दिनांक-16.02.15 के आदेश के आलोक में मनोहरपुर थाना (चाईबासा) कांड सं०-49/11 को स्थानान्तरित करते हुए कांड अंकित किया गया है।	1. श्री दिनानाथ सिंह, पे०-स्व० रामबरही सिंह, सा०+थाना- रामगढ़, जिला- कैमुर बिहार वर्तमान रामनगरी सेक्टर-03ए, राजीव नगर थाना-राजीवनगर, जिला-पटना, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद चाईबासा। 2. श्री शशि प्रकाश, पे०-स्व० बृजनंदन प्रसाद, सा०-डीबर, थाना-पंडारक, जिला-पटना, बिहार वर्तमान अषियाना सन सिटी फ्लैट नं०-एच-31 मानगो, जमशेदपुर, थाना- मानगो जिला-पूर्वी सिंहभूम, तत्कालीन सहायक अभियंता, 3. श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता। 4. श्री वशिष्ठ नारायण पाण्डेय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता। <b>सभी व्यक्तियों पर आरोप पत्र सं०-01/17 दिनांक-19.1.17, राँची।</b>
3.	निगरानी ब्यूरो थाना कांड सं०-69/16 दिनांक-22.11.16 धारा-07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	<b>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।</b> ट्रैप केस। 10,000/-	रमेश कुमार महतो उर्फ रमेश महतो, पिता-स्व० दिनेश्वर महतो, ग्राम-मेसरा, पो०-लाभीपतरा, थाना-पण्डवा, जिला-पलामू, वर्तमान पंचायत सचिव (पंचायत सेवक) पंचायत सचिवालय, ओरियाकला, प्रखंड लेस्लीगंज, जिला-पलामू। <b>आरोप पत्र सं०-02/17 दिनांक-20.01.17, राँची।</b>
4.	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं०-14/16, दिनांक-28.11.16 धारा-7/13(2) भ०नि० अधि०-1988	1,800/-	रविन्द्र प्रसाद सिंह (उम्र 55 वर्ष), पिता-स्व० राधे सिंह, सा०-शीतलपुर, थाना-विदुपुर, जिला-वैशाली (बिहार) वर्तमान लिपिक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मिश्रित भवन, धनबाद। <b>आरोप पत्र सं०-02/17 दिनांक-24.01.17 धनबाद।</b>
5.	निगरानी थाना कांड सं० 20/11 दि०- 01.08.11 धारा 409/418/420/467/468/471/120बी भा०द०वि० 39 विद्युत अधिनियम एवं 13 (सी)(डी) भ०नि०अधि- 1988	राज्य विद्युत बोर्ड रामगढ़ में षडयंत्र पूर्वक उर्जा की चोरी कराकर राजस्व की भारी क्षति पहुँचाने के आरोप में पी०ई० सं०- 09/2000 के जाचोपरान्त काण्ड दर्ज है।	1. श्री कलिन्द्र प्र० पिता स्व० बसन्ती साहू, ग्राम-मगनपुर, थाना- गोला, जिला-हजारीबाग तत्का० सहा० विद्युत अभियंता, कुजू, रामगढ़। 2. श्री राम सिंह, पिता -सहदेव सिंह, ग्राम- गनुआ, थाना+जिला- रामगढ़, महाबली सीमेंट फैक्ट्री के मालिक। <b>दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन सं०-03/17 दिनांक-24.01.17 हजारीबाग, साक्ष्य की कमी समर्पित।</b>
6.	निगरानी थाना कांड सं०-70/16, दिनांक-29.11.16 धारा-7/13(2) भ०नि० अधि० -1988	ट्रैप केस। 2,000/-	सत्येन्द्र नारायण चौबे (उम्र-59 वर्ष), पिता-स्व० राम नरेश चौबे, मोहल्ला-न्यू कॉलोनी, ग्राम+थाना -रेहला, जिला-पलामू वर्तमान क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा। <b>आरोप सं०-04/17 दिनांक-24.01.17 राँची।</b>
7.	भ०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०-16/16, दिनांक-27.11.16 धारा-7/13(2) भ०नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 1,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त राजेश कुमार, पिता-स्व० रामबालक रजक, ग्राम-अबगिल, थाना- मेटनी चौकी, जिला-लखीसराय, सम्प्रति राजस्व कर्मचारी, पंचायत बेलतू, प्रखंड केरेडारी, जिला-हजारीबाग। <b>आरोप पत्र सं०-01/17 दिनांक-25.01.17 हजारीबाग।</b>

8.	निगरानी थाना कांड सं0-39/13, दिनांक-03.10.13 धारा - 419/420/406/409/467/468/469/471/477ए/109/120बी धारा- 13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी) भ्र0नि0 अधि0- 1988	प्राथमिकी अभियुक्त श्री मधूसूदन द्वारा षडयंत्र पुर्वक मिलीभगत से अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र बनाकर पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्ति के आरोप में दर्ज है।	श्री जगदीश प्रसाद यादव, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कौवाकोल, जिला- नालंदा, बिहार। <b>अंतिम प्रतिवेदन सं0-05/17 दिनांक-25.01.17 रांची। साक्ष्य की कमी समर्पित।</b>
9.	भ्र0नि0 ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं0-01/17, दिनांक-26.01.2017 धारा- 7/13(2) भ्र0नि0 अधि0- 1988	<b>मनरेगा / जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण।</b> ट्रेप केस। 10,000/-	श्री अजीत कुमार, पिता-श्री देवनारायण राणा, सा0-पिपचों, थाना-दारू, जिला-हजारीबाग सम्प्रति परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, रामगढ़-सह-नोडल पदाधिकारी, मनरेगा, जिला-रामगढ़। <b>आरोप पत्र सं0-05/17 दिनांक-26.01.17, हजारीबाग।</b>
10.	भ्र0नि0 ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं0-06/16, दिनांक-15.12.16 धारा- 7/13(2) भ्र0नि0 अधि0- 1988	ट्रेप केस। 1,00,000/-	श्री शैलेन्द्र कुमार मंडल, पिता-स्व0 राम प्रसाद मंडल, स्थायी पता ग्राम+पो0- कालीप्रसाद, थाना-पिरपैती, जिला- भागलपुर (बिहार), वर्तमान पता, फ्लैट सं0-202 लव अपार्टमेंट, रोड़ नं0-02, हवाईनगर, थाना-जगन्नाथपुर, जिला-राँची, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं0-01, चक्रधरपुर, जिला-चाईबासा। <b>आरोप पत्र सं0-02/17 दिनांक-27.01.17</b>

**नोट:-** अपराध शाखा में दिनांक-27.01.17 तक प्राप्त आरोप पत्रों के अनुसार माह जनवरी, 2017 में आरोप पत्रित कांडों की सूची उपर अंकित है। परन्तु यह भी सम्भव है कि माह जनवरी में कुछ और कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया हो परन्तु अभी तक अपराध शाखा में आरोप पत्र अनु0कर्ताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो। अतः इस संबंध में निगरानी थाना, राँची से स्पष्ट स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।